

वर्गीय
सुअर

पुस्तक वा कारखानेवादी मय इतिहासिकत मय

11-1-21)

वकुलीय करीकेत बाजिर।

करीब पार्श्व द्वारा कारखानेवादी
की एक ही हेतु एक माह से अधिक
समय तक तो वे जोत के बावजूद
भी प। फ नोएसे मकर पेश नहीं
किये गये हैं। द्वारा पार्श्व द्वारा
प्राप्त कारखानेवादी कारखानेवादी
अथ P.T. Act अधिन 9 नियम 5 के
तहत स्थापित किया जाया है। कारखानेवादी
केलव सुअर केरु नरवर से कर है।
निष्पि से इजलास सुनाया गया।

हाथक कलेक्टर (एस. डी. आ.)
साधर (जिला-जानोर)